न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर संभाग सागर

खड़िया तनय जगना लोधी ,

निबासी ग्राम बन्न (बरेला) ,

तहसील बड़ामलहरा, जिला छतरपुर म0प्र0 .....अपीलार्थी

वनाम

1— गौरी पुत्री जगना लोधी ,

निबासी ग्राम बन्न (बरेला) ,

तहसील—बड़ामलहरा, जिला छतरपुर म0 प्र0

2— नन्नी पुत्री जगना लोधी ,

निबासी ग्राम बन्न (बरेला) ,

तहसील बड़ामलहरा, जिला छतरपुर म0प्र0

..... प्रतिअपीलार्थीगण

आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 5 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :—

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :—

1— यह कि आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय बिजावर, जिला छतरपुर द्वारा प्र0क0 175/अपील/2007—08 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 21/09/2010 से परिवेदित होकर कर रहा हैं।

2— यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक के नाम से ग्राम बन्न (बरेला) में विभिन्न खसरा नंबरों की भूमि राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी हक में दर्ज थीं, उपरोक्त भूमि आवेदक के नाम से 1975 से दर्ज थी। जो बारिसान हक में पिता के फौत होने के बाद आवेदक के नाम पर आई थी। आवेदक तभी से उपरोक्त भूमि पर मालिक काबिज कृषि कार्य करता चला आ रहा है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 541 –दो/16 **जिला** –छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश खडिया विरूद्ध गौरी	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
16.02.16	मैने प्रकरण का अवलोकन किया, आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बिजावर, जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण कमांक 175/अपील/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 21.9.10 से परिवेदित होकर प्रस्तुत की गई है । अपील के साथ धारा –5 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया। जिस पर अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तर्को से सहमत होकर आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी समय सीमा में मान्य की जाती है । आवेदक की ओर से अधिवक्ता द्वारा निगरानी के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किये गये तथा तर्क प्रस्तुत किये गये प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन किया गया। 2– अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदिका एक द्वारा ग्राम बन्न(बरेला) की नामांतरण पंजी कमांक 37 पर पारित आदेश दिनांक 8.9.1975 से परिवेदित होकर अपील प्रस्तुत की गई है। मेरे द्वारा प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 21.9.2010 का अवलोकन किया गया। प्रश्नाधीन आदेश के अनुसार वादग्रस्त भूमि जगना लोधी के नाम पर भूमि	

स्वामी हक में दर्ज थी। जगना लोधी का 1975 के पूर्व स्वर्गवास होने के कारण वारिसान हक में तत्समय ही संपूर्ण वादग्रस्त भूमि पर जगना को नाम दर्ज हो गया था जिससे परिवेदित होकर अनावेदिका एक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बिजावर के न्यायालय में करीब 35 साल उपरांत दिनांक 30.09.2010 को अपील प्रस्तुत की गई है। संलग्न अपील आवेदन एवं आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण की वादग्रस्त भूमि वर्ष 1975 से अनवरत रूप से आवेदक खडिया के नाम से भूमि स्वामी हक में दर्ज चली आ रही थी। 3- आवेदक की ओर से अधीनस्थ न्यायालय की संपूर्ण आदेश पत्रिकाओं की भी प्रमाणित प्रतियां एवं अपील आवेदनपत्र तथा समस्त अंतरिम आवेदनपत्रों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं जिनके एवं प्रश्नाधीन आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो अपील के साथ संलग्न धारा 47 भू-राजस्व संहिता सहपठित धारा-5 म्याद अधिनियम के आवेदनपत्र को निराकृत किया है, ना ही अपील करने की अनुमति एवं धारा 48 भू राजस्व संहिता के आवेदनपत्र का निराकरण किया गया है । 35 वर्ष साल पुराने नामांतरण के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को किस प्रकार समय सीमा में माना है, तत्संबंध में कोई भी कोई आदेश पारित नहीं किया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को पहले प्रकरण में सभी आवेदपत्रों का ग्राह्यता

एवं समय सीमा को ध्यान में रखकर विधि अनुसार निराकरण करना था, तदुपरांत यदि अपील प्रचलन योग्य एवं समय सीमा में पाते तब गुणदोषों पर बिचार करना था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतरिम आवेदनपत्रों का निराकरण नहीं किया गया है सीधा अंतिम आदेश पारित किया गया है। मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा 2002 रा0नि0 254 में व्यवस्था प्रदान की है कि 'परिसीमा का प्रश्न पहिले सकारण आदेश द्वारा बिनिश्चय किया जाना चाहिये।; प्रश्नाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

4-आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में बर्ष 1975 में पुत्रियों कोपिता की संपत्ति में अधिकार नहीं था, उपरोक्त अधिकार 2005 में प्रदान किये गये हैं। उपरोक्त तथ्य पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिचार नहीं किया गया । 1975 में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में पुत्रियों के हक संबंधी क्या प्रावधान थे इस पर भी विचार किया जाना चाहिये था जो नहीं किया गया है।

5- अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन करने पर यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि जिस नामांतरण पंजी बर्ष 1975 में दर्ज प्रविष्टि कमांक 37 की अपील की गई है, उस पंजी में उपरोक्त प्रविष्टि कमांक 37 दर्ज नहीं है, तब ऐसी स्थिति में अपील प्रचलन योग्य ही नहीं थी। क्यों कि जिस

पंजी कमांक 37 पर पारित आदेश की अपील की गई है यदि वह आदेश अस्तित्व में ही नहीं है तो फिर अपील प्रथम दृष्टया ही स्वीकार योग्य नहीं थी। यदि उपरोक्त प्रविष्टि सक्षम अधिकारी के आदेश के बगैर खसरा में दर्ज की गई थी तो उसके लिये अनावेदक को पृथक से सक्षम न्यायालय में भू राजस्व संहिता में बर्णित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करना चाहिये थी। इस अपील के माध्यम से उपचार प्रदान नहीं किया जा सकता था।

उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी का आलोच्य आदेश दिनांक 21.9.10 एवं उसके आधार पर पारित अन्य सभी आदेश भी निरस्त किये जाते हैं । अनुविभागीय अधिकारी बिजावर को निर्देशित किया जाता है कि, वे प्रकरण पुनः खोलकर सर्वप्रथम धारा 47 सहपठित धारा -05 म्याद अधिनियम एवं अन्य सभी अंतरिम आवेदनपत्रों पर विधिवत उभयपक्षों कोसाक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करके पृथक से बोलता हुआ आदेश उपरोक्त कंडिकाओं में की गई विवेचना के आधार पर पारित करें। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा0 द0 हो। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य